प्रस्तावना

''महिलाओं के सशक्तिकरण'' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण, महिला एवं बाल विकासविभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित संचालित योजनाओं/अधिनियमों में से चयनित योजनाओं/अधिनियमों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि को आच्छादित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।